पत्रांक–03/SBM–20–03/2015 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत पटना नगर निगम के लिए SWM घटक में केन्द्रांश की प्रथम किस्त की विमुक्त राशि रू0 3435.00 लाख के अनुपातिक राज्यांश की राशि 2286.728 लाख रू0 (बाईस करोड़ छियासी लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में निकासी की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत SWM घटक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–1/29/2015–SBM दिनांक–13.12.2018 पटना नगर निगम के लिए केन्द्रांश की राशि रू0 3435.00 लाख विमुक्त की गई, केन्द्रांश की विमुक्त राशि रू0 3435.00 लाख के अनुपातिक राज्यांश की राशि 2286.728 लाख रू0 (बाईस करोड़ छियासी लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि 2286.728 लाख रू0 (बाईस करोड़ छियासी लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के Bank of Baroda, S.K. Puri, Boring Raod, Patna के Account Name- BUDA SBM SWM A/c No.- 18630100020634, IFSC Code- BARB0SRIKRI में अंतरित किया जाएगा, जो आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निकाय को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक–8699 दिनांक–29.11.2018 एवं पत्रांक–256 दिनांक–26.02.19 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाए नई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि 2286.728 लाख रू0 (बाईस करोड़ छियासी लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र) माँग सं0– 48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0301–स्वच्छ भारत अभियान, विषय शीर्ष–31 सहायता अनुदान, 0301–31–05–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड –48-2217030510301, PFMS Code- 9757 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि 20000.00 लाख रू0 में से अवशेष राशि 17346.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

6. इसके लिए CFMS के माध्यम से अलग से आवंटन निर्गत किया जायेगा।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0–184 /टि0 पर दिनांक–23/01/2020 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0–182/टि0 पर दिनांक–21/01/2020 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 दिनांक–
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 214 दिनांक– 31/01/2020
प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.01.2020
सरकार के विशेष सचिव।